कार्यालय जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण/जिलाधिकारी, देवरिया।

पत्रांक– 150 /कै0बि0का0–आ0प्र0–2015, दिनांक–21 फरवरी, 2015

अल्प कालिक निविदा प्रकाशन

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–1082/01–10–2014–33(57)/2013, राजस्व अनुभाग–10, दिनांक 08.12.2014, द्वारा (**Capacity Building Programme**) के अन्तर्गत जनपद देवरिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्रशिक्षण/चिन्हित आपदा के प्रति अतिसंवेदनशील 120 ग्राम पंचायतों हेतु खोज एवं बचाव के सामान्य उपकरणों के क्रय हेतु पूर्व प्रकाशित निविदा संख्या 142(7) दिनांक 05.02.2015 के क्रम में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत कुल तीन निविदाओं के परीक्षण के उपरान्त क्रय समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर, पारित अधोहस्ताक्षरी के आदेश दिनांक 21.02.2015 द्वारा प्राप्त निविदाओं को निरस्त करते हुए, पुनः नये सिरे से खोज एवं बचाव के सामान्य उपकरणों के क्रय हेतु इच्छुक आपूर्ति कर्ताओं/फर्मो से निविदा निम्न शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती है।

क्र0	सामग्री/उपकरण का नाम	संख्या
1	सर्च लाईट	120
2	लाईफ जैकेट	120
3	लाइफ ब्वाय	120
4	मेगा फोन	120
5	फोल्डिंग स्ट्रेचर	120
6	फर्स्ट एड किट	120
7	सेफ्टी हेलमेट	120
8	फायर एक्सटिनग्यूसर	120
9	जैरीकेन (वाटर कन्टेनर)	600

निविदा की विस्तृत जानकारी/नियम एवं शर्ते व स्पेसिफिकेशन तथा निविदा फार्म, कार्यालय जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण, कलेक्ट्रेट, देवरिया से दिनांक 23.02.2015 से दिनांक 02.03.2015, अपरान्ह 12:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म उसी दिन दिनांक 02.03.2015 को सायं 5:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेगे व निविदा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), देवरिया के कार्यकक्ष में सील्ड बाक्स में डाली जायेगी तथा निविदा दिनांक 03.03.2015 सायं 4:00 बजे गठित क्रय समिति के समक्ष कलेक्ट्रेट, स्थित जिलाधिकारी, देवरिया के कार्यकक्ष में खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता भी उपस्थित रहेंगें। फर्म जिनका वाणिज्य कर विभाग में कम से कम 3 वर्ष पूर्व का पंजीयन हो, वही निविदा डालने हेतु अर्ह/पात्र होगें। निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 500/– होगा। निविदा के साथ धरोहर राशि रु0 70,000/– (रु0 सत्तर हजार) मात्र, का बैंक ड्राफ्ट, जो जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण, देवरिया के पक्ष में देय होगा। बैंक ड्राफ्ट, टेक्निकल बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। आमंत्रित की गयी निविदा की समस्त नियम एवं शर्ते निविदा प्रपत्र में उल्लिखित होगा। निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी, देवरिया/अध्यक्ष क्रय समिति में निहित होगा। निविदा की नियम एवं शर्ते/स्पेसिफिकेशन **deoria.nic.in** पर भी देखी जा सकती है। इस संबंध में कोई भी जानकारी आपदा प्रबंधन सहायक, मो0नं0 9598831006 से प्राप्त की जा सकती है।

(शरद कुमार सिंह)
जिलाधिकारी,
देवरिया।

पत्रांक– 150 (8)/आ0प्र0–फरवरी 2015 दिनांक 21 फरवरी, 2015

प्रतिलिपिः–

1– अध्यक्ष/सदस्य गण, क्रय समिति, को इस आशय से प्रेषित कि निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित होकर प्राप्त निविदाओं को खोले जाने एवं उपकरणों के क्रय की कार्यवाही पूर्ण करावे।

2– जिला सूचना अधिकारी, देवरिया को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा दिनांक 23.02.2015 तक (राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान) समाचार पत्रो में न्यूनतम स्थान एवं न्यूनतम दर पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापन जनपद देवरिया की बेवसाइट **deoria.nic.in** पर अपलोड करने का कष्ट करें।

21/2/15

जिलाधिकारी,
देवरिया।

A D M (F&R)

टेन्डर फार्म

(1)

निविदा फार्म का मूल्य रु0 500/–

जारीकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर

निविदा फार्म संख्या........................

वित्तीय वर्ष 2014–15 में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद देवरिया में खोज एवं बचाव के सामान्य उपकरणों के क्रय कर आपूर्ति हेतु पत्र सं0–150(7) द्वारा आमंत्रित निविदा से संबंधित नियम एवं शर्तें–

1. निविदा की विस्तृत जानकारी/नियम एवं शर्तें व स्पेसिफिकेशन तथा निविदा फार्म, कार्यालय जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण, कलेक्ट्रेट, देवरिया से दिनांक 23.02.2015 से दिनांक 02.03.2015, अपरान्ह 12:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदा फार्म0 उसी दिन दिनांक 02.03.2015 को सायं 05:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे व निविदा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), देवरिया के कार्यकक्ष में सील्ड बाक्स में डाली जायेगी तथा निविदा दिनांक 03.03.2015 सायं 4:00 बजे गठित क्रय समिति के समक्ष कलेक्ट्रेट, स्थित जिलाधिकारी, देवरिया के कार्यकक्ष में खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता भी उपस्थित रहेंगें।
3. फर्म जिनका वाणिज्य कर विभाग में कम से कम 3 वर्ष पूर्व का पंजीयन हो, वही निविदा डालने हेतु अर्ह/पात्र होगें। इसके लिए टेक्निकल बिड के साथ फर्म को व्यापार कर में वैध पंजीयन होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं होगी।
4. निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 500/– होगा।
5. निविदा के साथ धरोहर राशि रु0 70,000/–(रु0 सत्तर हजार) मात्र, का बैंक ड्राफ्ट, जो जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण, देवरिया के पक्ष में देय होगा। बैंक ड्राफ्ट, टेक्निकल बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. निविदा दो भागों में डाली जायेगी, जिसमें पहला भाग टेक्निकल बिड तथा दूसरा भाग फाइनेन्शियल बिड के नाम से अलग–अलग लिफाफे में डाली जायेगी। समिति द्वारा पहले टेक्निकल बिड का लिफाफा खोला जायेगा। टेक्निकल बिड स्वीकार होने पर ही उसका फाईनेन्शियल बिड खोला जायेगा। लिफाफे के ऊपर टेक्निकल बिड/फाईनेन्शियल बिड, जैसी भी स्थिति हो, लिखना अनिवार्य होगा।
7. निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी।
8. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के उपरान्त 10 दिनों के अन्दर सामग्री/उपकरण की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के अन्दर आपूर्ति न करने की दशा में निर्गत आपूर्ति आदेश निरस्त करते हुए, धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
9. निविदा दाता द्वारा सशर्त प्रस्तुत निविदा, स्वीकार नहीं की जायेगी।
10. फर्म द्वारा सन्तोषजनक आपूर्ति करने के पश्चात ही भुगतान नियमानुसार किया जायेगा। किसी प्रकार का एडवांस भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. त्रुटिपूर्ण एवं समिति द्वारा अपूर्ण पाये गये निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी, देवरिया/अध्यक्ष क्रय समिति में निहित होगा।
12. किसी भी विवाद का निस्तारण देवरिया न्यायालय क्षेत्र में होगा।
13. निविदा द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तो का पालन करने की उदघोषणा निविदा फार्म पर अंकित निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर के साथ करना होगा।
14. निविदा संबंधी किसी प्रकार की असुविधा के समाधान के लिए कार्यालय, जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण, कलेक्ट्रेट, देवरिया, से सम्पर्क किया जा सकता है।
15. बैट्री युक्त एवं समस्त उपकरणों की गारण्टी कम से कम 1 वर्ष रहेगी।
16. टेण्डर की प्रक्रिया के उपरान्त फर्मो को जारी किये जाने वाले क्रयादेश में सामग्री/उपकरणों की कुल लागत का 10 प्रतिशत सिक्यूरिटी, डिपाजिट के तौर पर, वारण्टी अवधि समाप्त होने तक बंधक रखा जायेगा।
17. सामग्री/उपकरणों की आपूर्ति, स्पेसिफिकेशन के अनुसार करना अनिवार्य होगा। सामग्री/उपकरणों की गुणवत्ता में यदि किसी भी प्रकार की कमी पायी जाती है, तो आपकी धरोहर राशि जब्त करते हुए, फर्म को ब्लैक लिस्टेट कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म द्वारा निविदा खोले जाने हेतु निर्धारित तिथि/समय पर समिति के समक्ष, (क्रय किये जाने वाले सामग्री/उपकरणों का) नमूना लाना आवश्यक है। चयनित होने वाली निविदा में उल्लिखित उपकरणों का परीक्षण करने एवं सतुष्ट होने पर ही, उक्त फर्म को क्रय आदेश निर्गत किये जायेंगे, अन्यथा की स्थिति में उक्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
19. सामग्री/उपकरण, आपूर्ति करने के दौरान यात्रा पर आने वाला व्यय, किसी प्रकार का टैक्स आदि, देय नहीं होगा।
20. रु0 100/– के नानजुडिशल स्टाम्प पेपर, पर शपथ–पत्र दाखिल करना अनिवार्य होगा, कि टेक्निकल बिड एवं फाईनेन्शियल बिड में दी गयी समस्त सूचनायें सत्य है, यदि असत्य पायी जाती है, तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाय।
21. निविदा की नियम एवं शर्तें/स्पेसिफिकेशन **deoria.nic.in** पर भी देखी जा सकती है।
22. निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। इस संबंध में कोई भी जानकारी आपदा प्रबंधन सहायक, मो0नं0 9598831006 से प्राप्त की जा सकती है।